APP-A
Crim-1

FORM No. III
फर्द अहकाम
(नियम 26)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम कोटा

नटटी बाई उर्फ नन्दकंवर बनाम सरकार

किस्म मुकदमा 136 L.R नं. 60 सन् 2025

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स अज	नम्बर व तारीख अहकाम जो किस हुक्म की तामील में जारी हुए
29/8/25	पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता उभयपक्ष उपस्थित। प्रार्थीनी की ओर से अधिवक्ता द्वारा बहस कर प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने का निवेदन किया गया। प्रार्थीनी की ओर से प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया गया है कि प्रार्थीनी ग्राम दामोदरपुरा तहसील लाडपुरा जिला कोटा की निवासी है तथा वर्तमान में प्रार्थना पत्र में वर्णित पते पर निवासरत है। प्रार्थीनी एवं प्रतिपक्षी संख्या 1 लगायत 6 सगे भाई बहन हैं। ग्राम दामोदरपुरा तहसील लाडपुरा जिला कोटा–राज० के खाता संख्या नया 48 पुराना 44 की ख०नं0 122/205 रकबा 0.33 है०, ख०नं0 128 रकबा 0.49 है०, ख0न0 138 रकबा 0.10 है०, ख०नं० 39 रकबा 0.34 है०, ख०नं० 40 रकबा 0.04 है०, ख०नं0 41 रकबा 0.38 है०, ख०नं० 42 रकबा 0.09 है., ख०नं० 45 रकबा 0.72 है०, खनं0 46 रकबा 0.23 है0, ख०नं० 47 रकबा 0.14 है०, ख०नं० 48 रकबा 0. 13 है०, ख०नं0 49 रकबा 0.15 है० एवं ख०नं० 92 रकबा 0.16 है० कुल किता 13 रकबा 3.30 है० तथा खाता संख्या नया 46 पुराना 42 की ख०नं० 130 रकबा 0.12 है० एवं खाता संख्या नया 47 पुराना 43 की ख०नं० 135 की रकबा 0.09 है० आराजी स्थित है। उक्त आराजी प्रार्थीनी एवं प्रतिपक्षी संख्या 1 लगायत 6 अन्य खातेदारान एवं उनकी बहन कंचन बाई के संयुक्त खाते में दर्ज चली आ रही है। वर्तमान में कंचन बाई की मृत्यु हो चुकी है। उक्त राजस्व अभिलेख जमाबन्दी में प्रार्थीनी का नाम नटटी बाई पत्री गेन्दा के रूप में दर्ज रेकार्ड है। प्रार्थीनी उक्त आराजी में प्रतिपक्षी संख्या 1 लगायत 6 के साथ निरन्तर संयुक्त रूप से काबिज होकर काश्त करती चली आ रही है तथा वर्तमान में भी काबिज है। प्रार्थीनी एवं प्रतिपक्षी संख्या 1 लगायत 6 के पिता गेन्दा जी के तीन पुत्र व पांच पुत्रियां प्रार्थीनी एवं प्रतिपक्षी संख्या 1 लगायत 6 एवं बहन कंचन बाई ही है जो उनके वारिस एवं उत्तराधिकारी है। कंचन बाई की मृत्यु हो चुकी है। प्रार्थीनी का वास्तविक नाम नन्दकंवर पत्नी (पत्नी बलराम जी) है। प्रार्थीनी के माता– पिता द्वारा बचपन में प्रार्थीनी को प्यार से बोलते नाम नट्टी बाई के नाम से भी पुकारा जाता था। प्रार्थीनी के पिता श्री गेन्दा जी का स्वर्गवास काफी अरसे पूर्व हो गया था इसी कारण से उनके स्वर्गवास के उपरांत ग्राम दामोदरपुरा की उक्त आराजी में उनके फोती इंतकाल में प्रतिपक्षी संख्या 1 लगायत 6 एवं उनकी बहन कंचन बाई के साथ प्रार्थीनी का नाम नट्टी बाई के रूप में दर्ज कर दिया गया जबकि प्रार्थीनी के रिकॉर्ड मतदाता पहिचान पत्र, आधारकार्ड, राशनकार्ड, जन–आधारकार्ड, बैंक आदि में वास्तविक नाम नन्दकंवर दर्ज हो रहा है किंतु ग्राम दामोदर पुरा के उक्त राजस्व अभिलेख में जमाबंदी में प्रार्थीनी का बोलता नाम नट्टी बाई दर्ज होने से तथा मतदाता पहिचान पत्र, आधारकार्ड, राशनकार्ड, जनआधारकार्ड, बैंक में नन्दकंवर दर्ज होने से पृथक पृथक नाम दर्ज होने से प्रार्थीनी को काफी असुविधा का सामना करना पड़ रहा है। प्रार्थीनी उक्त आराजी पर किसी प्रकार का लोन, कृषि ऋण, किसान क्रेडिट कार्ड आदि प्राप्त नहीं कर पा रही है और प्रार्थीनी उतक्त आराजी में अपने साम्पत्तिक अधिकारो यथा रहन, बैय, दान, वसीयत, हस्तांतरण आदि का उपयोग करने में भी असमर्थ है। अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर विनय है कि प्रार्थीनी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को स्वीकार फरमाया जाकर ग्राम दामोदरपुरा तहसील लाडपुरा जिला कोटा–राज० के खाता संख्या नया 48	

उपखण्ड अधिकारी
कोटा

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स अज	नम्बर व तारीख अहकाम जो किस हुक्म की तामील में जारी हुए

पुराना 44 की ख०नं0 122/205 रकबा 0.33 है०, ख०नं0 128 रकबा 0.49 है०, ख0न0 138 रकबा 0.10 है०, ख०नं० 39 रकबा 0.34 है०, ख०नं० 40 रकबा 0.04 है०, ख०नं0 41 रकबा 0.38 है०, ख०नं० 42 रकबा 0.09 है., ख०नं० 45 रकबा 0.72 है०, खनं0 46 रकबा 0.23 है0, ख०नं० 47 रकबा 0. 14 है०, ख०नं० 48 रकबा 0.13 है०, ख०नं0 49 रकबा 0.15 है० एवं ख०नं० 92 रकबा 0.16 है० कुल किता 13 रकबा 3.30 है० तथा खाता संख्या नया 46 पुराना 42 की ख०नं० 130 रकबा 0.12 है० एवं खाता संख्या नया 47 पुराना 43 की ख०नं० 135 की रकबा 0.09 है० में प्रार्थीनी का नाम नट्टी बाई पुत्री गेन्दा को दुरूस्त फरमाकर नट्टी बाई उर्फ नन्दकंवर पुत्री गेन्दा दर्ज फरमाया जावे।

अप्रार्थी नं0 2 लगायत 4 की ओर से जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि प्रार्थीनी का नाम नट्टी बाई पुत्री गेन्दा को दुरूस्त फरमाकर नट्टी बाई उर्फ नंदकंवर पुत्री गेन्दा दर्ज किये जाने मे हम अप्रार्थीगण को कोई आपत्ति नही है।

प्रार्थीनी के प्रार्थना–पत्र के सम्बन्ध में तहसीलदार लाडपुरा से रिपोर्ट प्राप्त की गई जिसमें तहसीलदार लाडपुरा द्वारा वर्णन कियां है कि ग्रामवासियान द्वारा जानकारी करने पर बताया गया कि स्व0 गेन्दा के मृत्यु के उपरांत उनके वारिसान का नाम दर्ज करते समय उनकी एक पुत्री का नाम नट्टी बाई बताया गया। नट्टी बाई को नंदकंवर के नाम से भी जाना जाता है। ग्रामवासियों के अनुसार नट्टीबाई व नन्दकंवर दोनो एक ही व्यक्ति के नाम है जिसे दोनो नामों से पुकारा जाता है।

बाद तहसील रिपोर्ट दौरानें बहस प्रार्थीनी द्वारा अपने प्रार्थना–पत्र के कथनों को दोहराया।

उपरोक्तानुसार बाद बहस पत्रावली एवं पत्रावली में सलंग्न तहसील रिपोर्ट का अवलोकन किया गया। तहसीलदार लाडपुरा द्वारा अपनी रिपोर्ट में कथन किया है कि नट्टी बाई को नंदकंवर के नाम से भी जाना जाता है। ग्रामवासियों के अनुसार नट्टीबाई व नन्दकंवर दोनो एक ही व्यक्ति के नाम है जिसे दोनो नामों से पुकारा जाता है। तहसील रिपोर्ट के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि नट्टी बाई एवं नंदकंवर एक ही महिला के नाम है। उपरोक्तानुसार बाद अवलोकन तहसील रिपोर्ट प्रार्थना–पत्र को प्रथम दृष्ट्या ही स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता हैं। अतः राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के तहत् प्रार्थीनी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र को स्वीकार कर तहसीलदार लाडपुरा को आदेशित किया जाता हैं कि ग्राम दामोदरपुरा तहसील लाडपुरा जिला कोटा–राज० के खाता संख्या नया 48 पुराना 44 की ख०नं0 122/205 रकबा 0.33 है०, ख०नं0 128 रकबा 0.49 है०, ख0न0 138 रकबा 0.10 है०, ख०नं० 39 रकबा 0.34 है०, ख०नं० 40 रकबा 0.04 है०, ख०नं0 41 रकबा 0.38 है०, ख०नं० 42 रकबा 0.09 है., ख०नं० 45 रकबा 0.72 है०, खनं0 46 रकबा 0.23 है0, ख०नं० 47 रकबा 0. 14 है०, ख०नं० 48 रकबा 0.13 है०, ख०नं0 49 रकबा 0.15 है० एवं ख०नं० 92 रकबा 0.16 है० कुल किता 13 रकबा 3.30 है० तथा खाता संख्या नया 46 पुराना 42 की ख०नं० 130 रकबा 0.12 है० एवं खाता संख्या नया 47 पुराना 43 की ख०नं० 135 की रकबा 0.09 है० भूमि के राजस्व रिकॉर्ड में नट्टी बाई पुत्री गेन्दा के स्थान पर नट्टी बाई उर्फ नंदकंवर पुत्री गेन्दा दर्ज किया जावे।

उक्त निर्णय आज दिनांक 29/8/25 को मेरे द्वारा लिखा जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

गजेन्द्र सिंह
उपखण्ड अधिकारी

उपखण्ड अधिकारी
कोटा